हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

विषयः– वर्ष सत्र 2016–2017 हेतु कक्षा 10वीं तथा 12वीं के एनरोलमैन्ट रिटर्न में दिये गये शैड्यूल अनुसार विद्यार्थियों के विवरण में संशोधन हेतु विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

i. विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फोटो तथा हस्ताक्षर में से किसी/किन्हीं में यदि कोई त्रुटि है तो उसे संशोधित किया जा सकता है।

ii. विद्यार्थी के सभी Particulars में संशोधन करने की छूट नहीं होगी।

iii. Submit किए गए डाटा में किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं हटाया जा सकता है ना हि नया नाम जोड़ा जा सकता है।

iv. किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश संख्या व प्रवेश तिथि में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इनमें संशोधन के लिए विद्यालय द्वारा मूल रिकार्ड बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संशोधन नियमानुसार ठीक होगा तो निर्धारित शुद्धि शुल्क के साथ संशोधन किया जाएगा।

v. यदि किन्हीं विद्यालयों द्वारा गलती से कक्षा 9वीं के एनरोलमैन्ट डाटा में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का डाटा या कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का डाटा सम्मिलित करके Submit किया गया है तथा निर्धारित शुल्क भी जमा करवाया गया है, ऐसे विद्यालयों को बोर्ड कार्यालय में लिखित में (मूल रिकार्ड सहित) अनुरोध करना होगा। इसके लिए एनरोलमैन्ट की शुद्धि हेतु केवल निर्धारित शुद्धि शुल्क ही लिया जायेगा। एनरोलमैन्ट शुल्क जो पहले जमा करवाया गया है, वही निर्धारित शैड्यूल के अनुसार मान्य होगा।

vi. जिन विद्यालयों द्वारा गलती से अन्य राज्यों के विद्यार्थियों का एनरोलमैन्ट शुल्क 150/– रूपये के स्थान पर 100/– रूपये जमा करवाया गया है, ऐसे विद्यालयों द्वार उनसे बकाया शुल्क का अन्तर 50/–रूपये तथा 100/–रूपये अतिरिक्त शुल्क सहित कुल 150/– रूपये (प्रति विद्यार्थी) और जमा करवाना होगा जो कि ऑन–लाईन ही जमा हो सकता है।

सहायक सचिव (एनरोलमैन्ट)
10/8/2016